भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *160
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

एडीआर प्रणाली के माध्यम से मामलों का निपटान

*** 160. श्री जगदम्बिका पाल :**

श्री विनसेंट एच. पाला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रणाली के माध्यम से 20 वर्ष से अधिक पुराने सभी शमनीय (कंपाउंडेबल) मामलों को निपटाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा अदालतों से मामलों के बोझ को कम करने और नागरिकों को न्याय प्रदान करने की प्रणाली को भी और अधिक तेज करने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में एडीआर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'एडीआर प्रणाली के माध्यम से मामलों का निपटान' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *160 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) (ख) और (घ) : सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का संवर्धन करने में सबसे आगे रही है। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए सक्षम विधिक ढांचा धारा 89, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उपबंध किया गया है। धारा 89 एडीआर की चार पद्धतियों अर्थात् माध्यस्थम्, सुलह, लोक अदालत और मध्यकता के माध्यम से निपटान सहित न्यायिक निपटान को मान्यता देती है । यह न्यायालय के लिए इनमें से किसी भी पद्धति से निपटान के लिए एक विवाद का उल्लेख करने के लिए उपबंध करता है, जहां यह प्रतीत होता है कि निपटान के तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं।

मध्यकता विधेयक, 2021, जिसे संसद में पुर:स्थापित किया गया है, खंड 7 के अधीन एक उपबंध निर्धारित करता है, जिसमें कथन किया गया है कि न्यायालय, यदि उचित समझती है, तो अन्य बातों के साथ मध्यकता के लिए शमनीय अपराधों से संबंधित किसी भी विवाद को संदर्भित कर सकती है। तथापि, ऐसी मध्यकता के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार आगे विचार किया जाएगा। अत:, मध्यकता विधेयक, 2021 के उपबंध उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार शमनीय अपराधों के निपटान को समर्थ बनाते हैं और मान्यता प्रदान करते हैं।

सरकार माध्यस्थम् और मध्यकता सहित एडीआर तंत्र का संवर्धन कर रही है क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों का समाधान करने की पारंपरिक पद्धति का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। एडीआर तंत्र के उपयोग से न्यायपालिका पर बोझ कम होने की भी अपेक्षा की जाती है और इस तरह देश के नागरिकों को समय पर न्यायिक व्यवस्था देने में सक्षम बनाया जा सकता है। इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में की गई कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :--

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को घरेलू माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के साथ संबंधित विधि को परिभाषित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। माध्यस्थम् परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल रखने और एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में माध्यस्थम् को सक्षम करने के लिए, भारतीय माध्यस्थम् विधि में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन माध्यस्थम् की कार्यवाही का समापन करने, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और माध्यस्थम् पंचाटों को प्रवृत्त करने के लिए एक प्रतिमान बदलाव का संकेत देने में सक्षम हैं ।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 शीघ्र, त्वरित निपटान और समयबद्ध माध्यस्थम् कार्यवाहियों, मध्यस्थों की तटस्थता और लागत प्रभावी वितरण तंत्र का उपबंध करता है । यह संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देने और देश में तदर्थ माध्यस्थम् की हिस्सेदारी को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 को अपनाया गया था । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 34 को माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था,जो माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाने का उपबंध करता है जहां भारतीय माध्यस्थम् परिषद को अधिकार प्रदान करने के अतिरिक्त अंतर्निहित माध्यस्थम् समझौते, करारों या माध्यस्थम् पंचाटों का निर्माण कपट या भ्रष्टाचार से प्रेरित होता है, यह

विनियमों द्वारा मध्यस्थों की मान्यता के लिए अर्हताओं, अनुभव और संन्नियमों को अधिकथित करने के लिए है ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को पूर्व-संस्था माध्यस्थम् और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य का एक वाणिज्यिक विवाद किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है, पक्षकार को न्यायालय तक पहुंचने से पूर्व पीआईएमएस के आज्ञापक उपचार से पूर्व निकलना होगा। इसका लक्ष्य पक्षकारों को माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने का अवसर प्रदान करना है ।

"जनता की अदालत" की परंपरा में निहित लोक अदालत की अवधारणा को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कानूनी प्रास्थिति प्रदान की गई है। लोक अदालत किसी भी प्रकार के सिविल मामलों और सभी आपराधिक शमनीय मामलों को ले सकती है, चाहे वह न्यायालय में लंबित हों या मुकदमा पूर्व स्थिति पर हों। लोक अदालत द्वारा दिए गए पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है और यह अंतिम और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष पंचाट के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती है। कोविड महामारी के दौरान, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) ने परिवर्तनकारी प्रभावन प्रौद्योगिकी और ई-लोक अदालत का शुभारंभ किया, जिसमें प्रभावित पक्ष अदालत स्थल पर आए बिना ही अपने मामले का समाधान करवा सकते है। ई-लोक अदालत विवादों का निपटान करने, प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान ("एडीआर") तंत्र के संयोजन की एक प्रक्रिया है जो एक तेज़, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करती है।

(ग) : न्यायालय में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर है । संबंधित न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहयोगी न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने, उनकी पहचान करने और एकत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, अंतर्वलित तथ्यों की जटीलता, साक्ष्य की जटिलता, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुकदमे लड़ने वाले व्यक्तियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित लागू होना भी है । ऐसे अनेक कारक हैं जिनका परिणाम मामलों के निपटान में विलंब होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने, उनकी पहचान करने और एकत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान के प्रति और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है ।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिर्वनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के

साथ-साथ, कम्प्यूटरीकण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य कदम उठाए गए हैं जो निम्नप्रकार हैं:

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9291.79 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । न्यायालय के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) 9000 करोड़ रुपए जिसमें से केन्द्र की हिस्सेदारी 5307 करोड़ रुपए है की कुल लागत के साथ 2025-26 तक विस्तारित की गई है । स्कीम में न्यायालय हॉल, आवासीय ईकाइ, अधिवक्ताओं के हॉल, प्रसाधन परिसर और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का निर्माण शामिल है । 21159 न्यायालय हॉल और 18557 आवासीय ईकाइयां इस स्कीम के अधीन उपलब्ध कराई गई है ।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u>:- ई-न्यायालय मिशन पध्दति परियोजना के अधीन, संपूर्ण देश में, कार्यान्वयन के अधीन सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी को वैन संयोजिता के साथ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तक विस्तारित किया गया है जिसे 99.3 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को उपलब्ध कराया जा रहा हैं । इसके अतिरिक्त, मामला सूचना साफ्टवेयर का नया और प्रयोक्ता-अनुकूल वर्जन सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में विकसित और नियोजित किया गया है । न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी अब राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध न्यायिक प्रक्रियाओं/विनिश्चयों के संबंध में बहुतायत में उपलब्ध सूचना तक पहुंच सकते है । आई टी सामर्थ्यकारी सेवाओं की श्रृखंला अर्थात् ई-न्यायालय वेब पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्र (जेएससी), ई-कोर्ट मोबाइल एप, एसएमएस पुश एण्ड पुल सेवाओं ने सभी प्रकार की सूचना जैसे कि मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और वकीलों और वादकारियों के लिए अंतिम निर्णय तक पहुंच को सुकर बनाया है ।

वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3,240 परिसर और 1,272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई को प्रभावी रूप से स्वीकृत की गई है और अब तक 21 वर्चुअल न्यायालय तारीख 03.03.2022 तक 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जा चुके हैं, ये न्यायालय 1.69 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा कर चुके हैं ।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 05.12.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 853 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 621 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
12.12.2022	25,011	19,192

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें,अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 838 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केन्दीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोडा गया है ।

(vi) इसके अतिरिक्त, लंबितता कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियां जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को संशोधित किया है ।

(vii) सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें विधिक सलाह प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और अलाभान्वित वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफार्म तथा विडियों कान्फ्रेसिंग तथा टेलिफोन के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ परामर्श करने

और ग्रामपंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर और टेली-विधि मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध चैट सुविधाओं का उपबंध किया गया हैं ।

प्रवर्ग	जारी की गई कुल सलाह	%
अनुसूचित जाति	8,62,464	31.51%
अनुसूचित जनजाति	4,90,729	17.93%
अन्य पिछडा वर्ग	7,94,986	29.04%
महिला	9,19,389	33.59%
सामान्य	5,88,932	21.52%
30 नवंबर, 2022 तक		

(viii) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं ।

अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

******